फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ~~[illegible]~~ राजेन्द्र कुमार, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राधेश्याम शर्मा बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा न0 4.6....../2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-11-22	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम ढाणी डालमिया की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 123 खसरा संख्या 354, 355, 356, 357 कुल किता 04 रकबा 4.76 है0 में प्रार्थी अमरचन्द पुत्र पुरूषोतमलाल हिस्सा 1/12 एवं राधेश्याम पुत्र पुरूषोतमलाल हिस्सा 1/12 जाति ब्राहमण सा0 चिड़ावा के नाम दर्ज रिकार्ड है। राधेश्याम व अमरचन्द सगे भाई है। राजस्व ग्राम ढाणी डालमिया में नामान्तरण संख्या 370 में दर्ज करते वक्त खातेदार अमरचन्द दर्ज हो गया जो उसके बचपन का (घरेलू) नाम था। प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र एवं लोगो से पूछताछ करने के आधार पर तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अनिल शर्मा पुत्र पुरूषोतम दास शर्मा व अमरचन्द पुत्र पुरूषोतमलाल एक ही व्यक्ति है। अतः तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का सही नाम राजस्व ग्राम ढाणी डालमिया की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 123 खसरा संख्या 354, 355, 356, 357 कुल किता 04 रकबा 4.76 है0 में प्रार्थी अमरचन्द पुत्र पुरूषोतमलाल हिस्सा 1/12 जाति ब्राहमण के स्थान पर अनिल शर्मा पुत्र पुरूषोतम दास शर्मा जाति ब्राहमण ग्राम ढाणी डालमिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर है। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	